न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0

प्रार्थना — पत्र अंतर्गत आदश 07 नियम 11 सी.पी.सी. वसिलसिले मुकदमा नम्बर 48/2014 उनवानी ढकेली बनाम प्यारेलाल वगै0 अंतर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए.

आदेश

दिनांकः— 03—10—2019

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 प्यारेलाल पुत्र भूरीसिंह जाति जाट निवासी तुहिया तह0 भरतपुर ने प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 इस आशय का पेश किया है कि वादिनी द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित अपने संपूर्ण हिस्से को अपने सभी वारिसान की सहमति से व उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपपंजीयक भरतपुर के समक्ष पूर्ण प्रतिफल 6.00 लाख रु0 प्राप्त कर प्रार्थी प्रतिवादी के लिए दि0 22.10.2009 को वयनामा करा दिया तथा वरोज वयनामा कब्जा व दखल भी प्रार्थी प्रतिवादी को मिल गया। अब वादिनी द्वारा प्रस्तुत दावा पंजीकृत वयनामा को निरस्त कराने बावत पेश किया है, जिसका अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है। इसलिए यह दावा सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होने के कारण दावा वादिनी इसी कारण खारिज किए जाने योग्य है। वादिनी द्वारा यह दावा घोषणा का पेश किया है और आराजी मुतनाजा पर वादिनी का कोई कब्जा नहीं है।

वादिनी द्वारा जब आराजी मुतनाजा का बेचान प्रार्थी/प्रतिवादी के लिए दि0 22.10.2009 को कर कब्जा व दखल भी उसी रोज दे दिया तो फिर अब उसे किसी भी प्रकार की धमकी दि0 02.03.2014 को देने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी सूरत में वादी को वाद का कोई भी कारण पैदा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं होता है। इसलिए दावा वादी वाद कारण के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है। दावा वादिनी मैंटेनेबल नहीं होने व क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण काबिल खारिजी के है। प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया है।

उक्त प्रा0पत्र की प्रति अभिभाषक वादी को दिलाई गई किंतु बार–बार अवसर देने के बाद भी प्रा0पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रा0पत्र पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा0पत्र स्वीकार कर दावा वादिनी खारिज करने का निवेदन किया है। अभिभाषक वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। अभिभाषक वादी द्वारा अपनी लिखित बहस में प्रा0पत्र के तथ्यों को नकारते हुए प्रा0पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा प्रा0पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी इस बावत पेश किया है कि वादिनी द्वारा अपने संपूर्ण हिस्से को अपने वारिसान की सहमति से दि0 22.10.2009 को विक्रय कर दिया है और पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा वादिनी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा भी नहीं है और वादिनी को कोई वाद कारण भी पैदा नहीं हुआ है। उक्त प्रा0 पत्र का कोई जवाब वादिनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रा0पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को वादपत्र में अभिकथित तथ्यों पर ही गौर करना है। वादपत्र की मद सं0 3 के अवलोकन से जाहिर है कि वादिनी द्वारा विक्रय पत्र दि0 22.10.2009 की बावत अपने वाद पत्र में उल्लेख किया है तथा वाद पत्र की मद सं0 4 में उप–मद 'अ' 'ब' 'स' 'द' 'य' के आधार पर वयनामा को धोखाधड़ी एवं चालाकी से

कराया जाकर कूटरचित व बनावटी होने के तथ्यों का वर्णन करते हुए वयनामा को शून्य व निष्प्रभावी कराने की घोषणा वादी द्वारा चाही है तथा वादपत्र की प्रार्थना में भी यही अनुतोष चाहा गया है।

इस प्रकार वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा वाके ग्राम तुहिया तह0 भरतपुर स्थित खसरा नं0 691, 1600, 1602, 1603, 1615, 1636, 1639, 2006, 2008, 2111, 2116, 2117, 2181, 2183 किता 14 रकबा 2.80 हैक्टेयर के 1/3 हिस्सा व आराजी खसरा नं0 2003, 2004, 2005 किता 3 रकबा 0.95 हैक्टेयर के 1/6 हिस्सा की बावत विक्रय पत्र दि0 22.10.2009 को धोखाधड़ी, कूटरचित व बनावटी होने का जिक्र वादिनी द्वारा करते हुए वयनामा को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने का अनुतोष चाहा है। जबकि पंजीकृत वयनामा को कूटरचित व बनावटी होने के तथ्यों पर शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। इस कारण राजस्व न्यायालय को वयनामा शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रकरण पर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हरिशचन्द्र बनाम राजाराम और अन्य (1992 राज0 विधि पत्रिका 90) में प्रतिपादित ''न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न निर्णित करते समय केवल आरोप, दावे और अनुतोष को ही नहीं देखना चाहिए अपितु दावे के पूरे विस्तार और उसके मूल आधार को भी दृष्टिगत रखकर सुनवाई करना न्यायोचित है'' एवं न्यायिक दृष्टांत 1993 आर.आर.डी. पेज 326 व 505, 1994 आर.आर.डी.–98(बी)2008, आर.आर.टी. पेज 237, 2015 (2) डी.एन.जे.–449 (राज0),1979 ए.आई.आर. (राज0) पेज 142, 1992 आर.आर.डी. पेज 212 प्रकरण पर बखूबी चस्पा होते हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.डी. 1989 पेज 538, सी.डी.आर. 2015(1) पेज 303(राज0), आर. आर.डी. 1982 पेज 299, 1985 आर.आर.डी. पेज 274, डब्लू.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एल.सी.(यू.सी.) 2000, आर.आर.डी. 1984 पेज 280, आर.आर. डी. 1984 पेज 851 यहां चस्पा नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन व न्यायिक दृष्टांतों पर गौर करते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वाद वादिनी वाद पत्र की सुनवाई की क्षेत्राधिकारता इस न्यायालय को नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर, भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official